अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं. 14036/607/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 17/10/2013

सेवा में,

श्रीमती फुला देवी जायसवाल
एफ ई-44, शिवाजी एन्क्लेव
राजौरी गार्डेन,
नई दिल्ली-110027

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका दिनांक रहित आवेदन।

महोदया,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपके ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 07.10.2013 को प्राप्त) का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आपकी शिकायतें इस मंत्रालय के दिनांक 14.08.2013 के पत्र सं. 14036/10/2013-यू टी पी और दिनांक 22.08.2013 के पत्र सं. 14036/10/2013- यू टी पी के तहत पहले ही दिल्ली पुलिस को भेजी जा चुकी हैं और इसलिए, आपका आर टी आई आवेदन भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत, दिल्ली पुलिस को उनकी ओर से आवश्यक कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री इकबाल सिंह चहल, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीय,

Issued with encl
2511/2518
30/10

(अ. कुमार शुक्ला) 17/10/2013
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
एवं अवर सचिव (डी पी-II)

प्रति प्रेषित:

1. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-आर टी आई आवेदन की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न की जाती है कि अपेक्षित सूचना आवेदक को सीधे भेजी जाए। आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया है।

संलग्नक : उपर्युक्त अनुसार